



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271513
CG-DL-E-02042026-271513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1608]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1608]

NEW DELHI, WEDNESDAY APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1673(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2816 तारीख 24/06/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा

पंजाब राज्य के एस.ए.एस नगर मोहाली जिले में अंबाला -चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड NH-205-A (पैकेज-I) के कि.मी. 5.95 से कि.मी. 25.5 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "समाचार पत्र की दिनांक 28/06/2025 " को "द ट्रिब्यून (अंग्रेजी)" और "अजीत (पंजाबी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के एस.ए.एस नगर मोहाली जिले में अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड NH-205-A (पैकेज-I) के कि.मी. 5.95 से कि.मी. 25.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: एस.ए.एस नगर मोहाली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: एस.ए.एस नगर मोहाली					
गांव का नाम: सलेमपुर उर्फ नंगल					
1	111 मिन	निजी	एग्रीकल्चर	0.00134	हरदित सिंघ -गुरमैल सिंघ सोन ओएफ बचनी यूआरएफ बचन कौर वाइफ ओएफ साधु सिंघ
2	112 मिन	निजी	एग्रीकल्चर	0.0296	हरदित सिंघ -गुरमैल सिंघ सोन ओएफ बचनी यूआरएफ बचन कौर वाइफ ओएफ साधु सिंघ
3	115 मिन	निजी	एग्रीकल्चर	0.0681	हरदित सिंघ -गुरमैल सिंघ सोन ओएफ बचनी यूआरएफ बचन कौर वाइफ ओएफ साधु सिंघ
4	116	निजी	एग्रीकल्चर	0.111	हरदित सिंघ -गुरमैल सिंघ सोन ओएफ बचनी यूआरएफ बचन कौर वाइफ ओएफ साधु सिंघ
गांव का नाम: छरवड 230					
5	466 मिन	निजी	एग्रीकल्चर	0.0506	ग्राम पंचायत
Total				0.26064	

[फा. सं. 11077/NHAI/PIU/CHD/AMB-CHD/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1673(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2816 Dated: 24/06/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of

Ambala - Chandigarh Green Field NH-205-A (Package-I) on the stretch of land from Km 5.95 to Km 25.5 in the District of S.A.S Nagar Mohali in the state of PUNJAB.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune (*English*)” and “*Ajit (Punjabi)*” both dated 28/06/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling Ambala- Chandigarh Green Field NH-205-A (Package-I) in the stretch of land from Km. 5.95 to Km. 25.5 in the District of S.A.S Nagar Mohali in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: S.A.S Nagar Mohali		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: SAS Nagar (Mohali)					
Village: Salempur urf Nangal					
1	111 Min	Private	Agriculture	0.00134	Hardit singh -Gurmail Singh son of bachni urf bachan kaur wife of sadhu singh
2	112 Min	Private	Agriculture	0.0296	Hardit singh -Gurmail Singh son of bachni urf bachan kaur wife of sadhu singh
3	115 Min	Private	Agriculture	0.0681	Hardit singh -Gurmail Singh son of bachni urf bachan kaur wife of sadhu singh
4	116	Private	Agriculture	0.111	Hardit singh -Gurmail Singh son of bachni urf bachan kaur wife of sadhu singh
Village: Chharwar230					
5	466 Min	Private	Agriculture	0.0506	Gram Panchayat
Total				0.26064	

[F. No. 11077/NHAI/PIU/CHD/AMB-CHD/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director